

1/106094/2023

प्रेषक,

एल० फैनई,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम,
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-03

देहरादून, दिनांक 17 मार्च, 2023

विषय-अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों हेतु शिल्पी ग्राम योजना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-264 दिनांक 27.05.2022 के संदर्भ में उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पारम्परिक शिल्प के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित शिल्पी ग्राम योजना के शासनादेश संख्या-237 दिनांक 09.03.2010 एवं अनुसूचित जातियों हेतु संचालित जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना के शासनादेश संख्या-794 दिनांक 13.08.2008 में योजनान्तर्गत लाभार्थियों के चयन हेतु निर्धारित अधिकतम वार्षिक आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ₹40,000 एवं शहरी क्षेत्र में ₹55,000) को संशोधित करते हुए अधिकतम वार्षिक आय सीमा (ग्रामीण क्षेत्र में ₹1,05,600 एवं शहरी क्षेत्र में ₹1,29,840) एतद्वारा निर्धारित की जाती है।

2. तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by L Fanai

Date: 14-03-2023 13:16:17

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-106 /SOCW3/39/2022-XVII-A-3(C-33677), तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा० मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित विभाग उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, समाज कल्याण उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल।
9. निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, देहरादून।
11. समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।
12. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी/प्रदेन जिला प्रबन्धक, उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम उत्तराखण्ड।
13. समस्त जिला प्रबन्धक, लीड बैंक, उत्तराखण्ड।
14. आदेश पंजिका।

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।